(20)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग

सुकमत पिता सिंगी दहायत ,

निबासी ग्राम भैंसा, तहसील हटा, जिला दमोह म0प्र0 .....अपीलार्थी

वनाम R- 14-II/16

1– बिल्ली बाई उर्फ विमला बाई पिता सुंदरलाल दहायत ,

निबासी तालगांव , थाना स्नेह , तह0 हटा जिला दमोह

2– ठुल्लीबाई पिता सुंदरलाल दहायत ,

निबासी ग्राम भड़पुरा , थाना सिमरिया , तह0 पवई जिला पन्ना

3– श्रीमति सरोजरानी पत्नि चरण दहायत ,

4– नौना तनय मुन्नीलाल दहायत, 5– राधा पिता मुन्नीलाल दहायत

6– छोटेलाल पिता संतुआ दहायत 7– जयराम पिता संतुआ दहायत

8– सुमतरानी पत्नि मुन्नीलाल दहायत ,

सभी निबासी ग्राम भैंसा , तह0 हटा, जिला दमोह म0 प्र0

..... प्रतिअपीलार्थीगण

B.O.R : 293 14-12-15

14 DEC 2015

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्र0 क0 714/अ–27/2015 में पारित आदेश दिनांक 17/11/2015 से परिवेदित होकर कर रहा है, जो समय सीमा में है तथा माननीय न्यायालय को अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भैंसा , प0ह0नं0 44 , रानि मं0 रनेह , तहसील हटा जिला दमोह में भूमि खसरा नं 1328 , 1332 , 1337 , 1339 रकवा कमशः 1.59 , 1.32 , 3.94 , 0.10 है0 जुमला रकवा 6.95 है0 उत्तरवादी गण के साथ साथ अपीलार्थी की पत्नि गौरीबहू के नाम शामिल शरीक रूप में राजस्व रिकॉर्ड में भूमि स्वामी हक में

XXXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-14-II/16 ..... जिला दमोह .....

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 15-1-16 | मैंने प्रकरण में निगराकार के विद्वान अधिवक्ता के आहता पर तर्क सुने। प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में मैंने उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया।<br><br>अपर आयुक्त, सागर द्वारा उनके प्र.क. 714/अ-27/14-15 में पारित आक्षेपित आदेश दि. 17.11.15 से, SDO हटा के प्र.क. 23/अ27/13-14 में पारित आदेश दि. 26-12-14 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को समयावधि बाधित मान कर निरस्त किया है। यह अपील अपर आयुक्त के समक्ष दि 25.7.15 को प्रस्तुत हुई थी।<br><br>विद्वान अधिवक्ता ने तर्क में कहा कि निगराकार एक 80 वर्ष का वृद्ध है, एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र के अनुसार उसे मलेरिया एवं लायफॉयड होने के कारण दि 25.12.14 से 12.7.15 तक का बेड-रेस्ट करने की कहा गया था। ऐसे में विलम्ब माफ नहीं किया जाना अनुचित था।<br><br>अपर आयुक्त ने आक्षेपित आदेश में तथ्यों का विवरण लिखने के बाद यह | |

[कृ. प. उ.

3

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 14/II/16 जिला दमोह

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 15-1-16 | निरस्त करता हूँ। साथ ही मैं अपर आयुक्त को यह निर्देश देता हूँ कि प्रकरण में नए सिरे से धारा 5 के आवेदन पर स्पष्ट एवं समुचित तौर पर बोलते स्वरूप का आदेश पारित करें। इस नए आदेश में वे उन कारणों एवं आधारों का खुलासा करें जिनकी वजह से वे विषयांकित चिकित्सा प्रमाण पत्र को विश्वसनीय पाते या नहीं पाते हैं, एवं विलम्ब को क्षमा योग्य पाते या नहीं पाते हैं। चूंकि निगरानीकार ने अपर आयुक्त के समक्ष धारा 5 आवेदन के संबंध में शपथ पत्र भी दिया गया होना बताया है, अतः यदि अपने अभिलेख में अपर आयुक्त ऐसा शपथपत्र अवस्थित पाएं तो वे उसको लेकर उससे सम्बन्धित बिन्दुओं का आवश्यकतानुसार साक्ष्य विधि के अनुसार परीक्षण भी कर सकते हैं। साथ ही अपर आयुक्त द्वारा यह देखा जाना भी अपेक्षित है कि | |

[कृ. प. उ.